

अन्डरटेकिंग (UNDERTAKING)

माता/पिता/अभिभावक

समक्ष:

प्राचार्य

दिनांक :

हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी।

महोदय,

मेरे पुत्र/पुत्री हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी के सत्र 2026-2027 में में प्रवेश ले रहे/रही हैं। मैंने रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धित विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ा है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने इसके बारे में अपने पुत्र/पुत्री/पाल्य को समझा दिया है। मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के विरुद्ध देश के किसी भी शैक्षणिक संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य को ऐसे किसी मामले में दोषी पाए जाने पर उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

नाम —

माता/पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर

पता —

मो0नं0—

अन्डरटेकिंग (UNDERTAKING)

छात्र/छात्रा

मैं अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पुत्र/पुत्री/पत्नी हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी के सत्र 2026-27 के स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष, विषय में प्रवेश ले रहा/रही हूँ। मैंने रैगिंग निषेध की विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया और समझ लिया है। मेरे विरुद्ध देश/प्रदेश के किसी भी शिक्षण संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है एवं भारतीय दण्ड विधान की किसी भी आपराधिक धारा के अन्तर्गत न तो दण्डित हूँ और न ही इस प्रकार का कोई मुकदमा मेरे विरुद्ध अदालत में विचाराधीन है। ऐसे मामले में यदि मुझे दोषी पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है तथा किसी भी समय जाँच में मेरे द्वारा दिया गया कोई दस्तावेज गलत पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है और वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

छात्र/छात्रा का नाम

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर

कक्षा —

पिता का नाम—

दिनांक:

मो0नं0 —

रोल नं0